राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(3)( )मो/आईसीडीएस/07/39757 जयपुर, दिनांक 15.06.09

परिपत्र

राज्य के अधिकांश राजस्व ग्राम, शहरी कच्ची बस्तियों तथा अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर्ड किये जा चुके है। इन क्षेत्रों में आंगनबाडी केन्द्र कार्यरत है तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को समेकित बाल विकास सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। विभागीय प्रयासों के उपरान्त भी वर्तमान में कुछ दूरस्थ क्षेत्र एवं बस्तियां आईसीडीएस सेवाओं से वंचित है।

भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल रिट पिटीशन संख्या 196/2001–पीयूसीएल बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 13.12.06 को पारित निर्देशों के क्रम में "मांग पर आंगनबाडी" (Anganwadi on demand) हेतु पत्र क्रमांक प.1–1/07–सीडी–1 दिनांक 19 मई, 2009 द्वारा दिशा–निर्देश प्रसारित किये है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी ग्रामीण समुदायों/बस्तियों तथा शहरी कच्ची बस्तियों में मांग पर 3 माह के अवधि में आंगनबाडी केन्द्र खोला जाना है, जहां 40 या अधिक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे उपलब्ध है। मांग पर आंगनबाडी केन्द्र खोलने के लिए राज्य में निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :–

आंगनबाडी केन्द्र खोलने के मानदण्ड

- मांग पर आंगनबाडी केन्द्र ऐसे क्षेत्रों/बस्तियों में खोले जा सकेंगे जहां 40 या अधिक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे उपलब्ध है।
- ऐसी बस्तियां/शहरी कच्ची बस्तियां जिनमें आंगनबाडी केन्द्र कार्यरत नहीं है अथवा केन्द्र से जुडी हुई नहीं है।
- ऐसी क्षेत्र जो राजस्व ग्राम से एक या अधिक किमी की दूरी पर स्थित है, वहां आंगनबाडी केन्द्र कार्यरत है परन्तु वहां बच्चों की पहुंच सुगमता से नहीं हो सकती है।
- ऐसे क्षेत्र/बस्तियां जिनमे जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत नहीं किये जा सके परन्तु स्थानीय समुदाय द्वारा केन्द्र की मांग की गई है।
- अनु. जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों/शहरी कच्ची बस्तियों में प्राथमिकता से मांग पर आंगनबाडी केन्द्र खोले जा सकेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

समुदाय की मांग पर आंगनबाडी केन्द्र खोलने के लिए स्थानीय समुदाय को जिला उपनिदेशक को सादा कागज पर आवेदन पत्र देना होगा। इस आवेदन पत्र में संबंधित जानकारी यथा–बस्ती की आबादी, आंगनबाडी केन्द्र में शामिल होने वाले क्षेत्र, बच्चों की संख्या, निकटतम आंगनबाडी केन्द्र से दूरी, राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत समिति का नाम तथा केन्द्र संचालन हेतु न्यूनतम आठवी पास महिला की उपलब्धता आदि तथ्यों का उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

आवेदन पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

- जिला उप निदेशक ऐसे सभी आवेदन पत्रो की प्राप्ति एव उस पर की गई कार्यवाही की पंजिका संधारित करेगे।
- प्राप्त आवेदन पत्र को जांच के लिए संबंधित परियोजना अधिकारी को भिजवाकर अंकित तथ्यों की पुष्टि करवायेगे तथा केन्द्र की आवश्यकता की विवेचना करेगे।
- परियोजना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर जिला स्तर से परियोजनावार प्राप्त प्रस्ताव संकलित कर निदेशालय मय अपनी अनुशंषा प्रेषित करेगे।

- निदेशालय द्वारा जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का संकलन कर भारत सरकार को भिजवाया जायेगा।
- भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा उस स्वीकृति से जिला उप निदेशकों को अवगत करवाया जायेगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर जिला उप निदेशक द्वारा प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जायेंगे तथा निदेशालय द्वारा आगामी 15 दिवस में ये प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे।
- भारत सरकार द्वारा शेष 45 दिन मे प्रस्तावों को स्वीकृत कर राज्य को भिजवाया जायेगा एवं राज्य स्तर से प्राप्त स्वीकृति जिलो/परियोजनाओं तक सम्प्रेषित की जाएगी।
- मांग पर आंगनबाडी केन्द्र हेतु संधारित की जाने वाली पंजिका का प्रारूप परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय समुदाय को आंगनबाडी खोलने की इस नवीन प्रक्रिया की समुचित जानकारी उपलब्ध करावें। कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का तत्परता से निस्तारण करे। आंगनबाडी के आवेदन प्राप्त होने पर वर्तमान में संचालित केन्द्रो से ऐसी बस्तीयों को प्राथमिकता से जोड़ने का प्रयास करे। जिन बस्तियों/ग्रामों में वास्तव में आंगनबाडी केन्द्रों की आवश्यकता हो, उन्हीं के प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये। इन दिशा–निर्देश की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जावेगी क्योंकि यह एक समयबद्ध कार्य है। अतः उक्त दिशा–निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.11(3)( )मो/आईसीडीएस/07/39758-908 जयपुर, दिनांक 15-06-07

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, महिला अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर
4. समस्त जिला कलेक्टर
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
7. समस्त उप निदेशक, आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपु

परिशिष्ट-अ

पंजिका का प्रारूप

क्र. सं.	आवेदन प्राप्ति की तिथि	आवेदन किसने किया	बस्ती/क्षेत्र/ग्राम जहां आंगनबाडी केन्द्र की मांग की गई	राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण					
						सीडीपीओ को भिजवाने की तिथि	सीडीपीओ से वापस प्राप्ति तिथि	प्रस्ताव उचित/अनुचित	निदेशालय अग्रेषित करने की तिथि	अनुचित होने पर सूचित करने की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
माह एवं वर्ष———											

परिशिष्ट– ब

आवेदन पत्र का प्रारूप

1– बस्ती / राजस्व ग्राम / शहरी कच्ची बस्ती का नाम	
2– राजस्व ग्राम / ग्राम पंचायत का नाम / वार्ड नम्बर	
3– पंचायत समिति / नगर पालिका नाम	
4– निकटतम आंगनबाडी केन्द्र का नाम व पता	
5– निकटतम आंगनबाडी केन्द से बस्ती / ग्राम की दूरी	
6– आंगनबाडी केन्द्र में शामिल होने वाले क्षेत्रों का नाम	
7– बस्ती में उपलब्ध दो आठवीं या अधिक पास महिलाओं के नाम जो कार्य की इच्छुक हो	

8– जनसंख्या विवरण

क्र.सं.	आईटम	पुरूष	महिला	योग
1	बस्ती की कुल जनसंख्या			
2	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (All)			
3	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (SC)			
4	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (ST)			
5	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या (Min.)			
6	कुल परिवारों की संख्या			
7	अनु. जाति के परिवारों की संख्या			
8	अनु. जनजाति के परिवारों की संख्या			
9	अल्पसंख्यक (Min.) परिवारों की संख्या			
10	अन्य विवरण जो आवश्यक हो			

ग्राम पंचायत की अनुशंषा एवं प्रमाण पत्र मय सील

आवेदक के हस्ताक्षर
मय पत्र व्यवहार का पता

बाल विकास परियोजना अधिकारी की टिप्पणी मय सील

जनसमुदाय के हस्ताक्षर